उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या- 9/2015/1739/43-1-2015-14(7)/2010
लखनऊः दिनांक 29 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-871/43-1-2013-14(3)/2010, दिनांक 25-4-2013 में अंकित सूची के क्रमांक-8 पर उल्लिखित श्री सियाराम पाल, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी सम्प्रति समीक्ष अधिकारी को दिनांक 22-12-2011 से तृतीय ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 6600/- अनुमन्य कराया गया था।

2- उक्त के विरूद्ध श्री सियाराम पाल, समीक्षा अधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-6629(एम.एस.)/2014 सियाराम पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष मांगा गया हैः-

(1) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the opposite parties to re-fix the third Assured Career Progress/ACP to the petitioner which applicable with effect from 1.10.2011 under the scheme of Assured Career Progress.

(2) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the opposite parties to pay the arrear and fix the salary of the petitioner.

(3) Any other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case also be passed.

3- उक्त रिट याचिका को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 19-11-2014 को निम्नलिखित आदेश द्वारा निस्तारित किया गया हैः-

Notice on behalf.....X.....X.....approach this court.

Learned counsel for the petitioner, after arguing at some length, prayed that is would be in the interest of justice that necessary directions be issued to the opposite party no.1 (the Principal Secretary, Department of Administration Reforms, U.P. Lucknow) to consider and decide the petitioner's representation by passing speaking and reasoned order within stipulated period fixed by this Court.

Learned Standing Counsel has no objection to this prayer of learned counsel for the petitioner.

In View of the above, without entering into merits of the case, this writ petition is disposed of finally with liberty to the petitioner to make afresh representation to the Principal Secretary, Department of Administration Reforms, U.P. Lucknow (Opposite Party No.1) raising his grievance within 15 days from the date receipt of certified copy of this order. In case, such representation is made, the Principal Secretary, Department of Administration Reforms, U.P. Lucknow will consider and decide the same in accordance with law within three months from the date of receipt of such representation.

4- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की छायाप्रति श्री सियाराम पाल, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति समीक्षा अधिकारी, नियोजन अनुभाग-2 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 25-11-2014 के साथ प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित करते हुये यह उल्लेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया गया है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उन्हें 14 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-10-1999 को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान एवं समयमान वेतनमान के स्थान पर लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01-12-2008 से स्वीकृत हुआ था। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर 26 वर्ष की सेवा दिनांक 01-10-2011 को पूर्ण होने पर उन्हें 26 वर्षीय तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ देय था। किन्तु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-871/43-1-2013-14(3)/2010, दिनांक 25-4-2013 द्वारा उक्त लाभ दिनांक 1-10-2011 से न स्वीकृत कर त्रुटिपूर्ण ढंग से दिनांक 22-12-2011 से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस त्रुटि के निराकरण करने हेतु संशोधित आदेश निर्गत करने के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 10-9-2013, 6-1-2014 एवं 8-8-2014 के माध्यम से प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है ऐसी स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समयांतर्गत प्रकरण को शीघ्र निस्तारित कराने का अनुरोध किया है।

5- प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि श्री पाल को सहायक समीक्षा अधिकारी पद के संदर्भ में दिनांक 01-10-1999 से प्रथम प्रोन्नत वेतनमान एवं दिनांक 01-12-2008 से द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है। दिनांक 01-10-1999 तक की सेवायें 14 वर्ष माने जाने पर इनकी 26 वर्ष की सेवायें दिनांक 01-10-2011 से पूर्ण होती है। अतः दिनाक 01-10-2011 से इन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोनयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 5400/- देय बनता है। दिनांक 22-12-2011 से संशोधित होकर ग्रेड वेतन रू0 6600/- इस कारण हो जायेगा क्योंकि इसी तिथि से प्रथम पदोन्नति के पद (समीक्षा अधिकारी) का ग्रेड वेतन उच्चीकृत हो गया था।

6- अतएव उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 19-11-2014 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-871/43-1-2013-14(3)/2010, दिनांक 25-4-2013 के क्रमांक-8 पर उल्लिखित श्री सियाराम पाल, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी सम्प्रति समीक्षा अधिकारी, नियोजन अनुभाग-2 को तृतीय ए0सी0पी0 की देय तिथि दिनांक 22-12-2011 को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर कनिष्ठ को देय तिथि दिनांक 01-10-2011 से तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 5400/- अनुमन्य किया जाता है, जो दिनांक 22-12-2011 से संशोधित होकर ग्रेड वेतन रू0 6600/- हो जाएगा।

7- उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-4-2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष यथावत रहेगा।

8- उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-11-2014 के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 25-11-2014 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/2015/1739/43-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-2
5- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 (अधि0)
6- प्रशासनिक सुधार अनुभाग, लेखा (दो प्रतियों में) इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया श्री सियाराम पाल, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी सम्प्रति समीक्षा अधिकारी, नियोजन अनुभाग-2 के भुगतान के साथ-साथ सम्बन्धित कार्मिक के स्वीकृत ए0सी0पी0 के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुए सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि अंकित करने का कष्ट करें।
7- सम्बन्धित कार्मिक।
8- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत/अवकाश पत्रावली में रखने हेतु।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।